

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 79/23

तारीख दायर

28/4/23

रामलाल पिता मोडा जी जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- नाथुलाल पिता प्यारचन्द जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- गणपत पिता मोहनलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- गौतम पिता जयलाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- सुल्तान पिता पन्नालाल जाति हेला उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री रामलाल ने जरिये अभिभाषक श्री ब्रह्ममप्रकाश तिवाडी, बितुठल तिवाडी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम चान्द जी की खेडी पटवार क्षेत्र चान्द जी की खेडी, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 236 आराजी नंबर 530 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम चान्द जी की खेडी पटवार क्षेत्र चान्द जी की खेडी, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 236 आराजी नंबर 530 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 79/23

तारीख दायर

28/7/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

कै - 6/6/23

विषय :- प्रकरण संख्या 79/23 प्रत्थरगढी बाबत।

रामलाल पिता मोडा जी जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- नाथुलाल पिता प्यारचन्द जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
 - 2- गणपत पिता मोहनलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
 - 3- गौतम पिता जयलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
 - 4- सुल्तान पिता पन्नालाल जाति हेला उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम चान्द जी की खेडी पटवार क्षेत्र चान्द जी की खेडी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 236 आराजी नंबर 530 रकबा 0.0809 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ~~500~~ तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा